

अधिसूचना अंतर्गत मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण  
अधिनियम, 1979

क्र. एफ-35-112-2015- दो सी-1. - चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 01 फरवरी 2018 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:-

अनुसूची

दुग्ध संकलन, संसाधन एवं वितरण सेवाओं के निर्बाध संसाधन हेतु नियुक्त किए गए (अधिकारी, कर्मचारी) कर्मी (पर्सनल)

MAP IT (MP Code)

[www.code.mp.gov.in](http://www.code.mp.gov.in)